

इलाहाबाद उच्च न्यायालय**लखनऊ****रिट - ए संख्या - 3241 वर्ष 2026**

भारत संघ द्वारा सचिव, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली और 3 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

संख्या 15682271-एल, पूर्व नायक सत्य प्रकाश

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : बलबीर सिंह

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता :

न्यायालय संख्या-1**माननीय न्यायमूर्ति राजन राय****माननीय न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला**

1. यह प्रकरण दूसरी बार नई याचिकाओं (फ्रेश केस) की सूची में सूचीबद्ध हुआ है। याचिकाकर्तागण की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है।

अस्वीकरण:

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

2. भारत संघ ने सशस्त्र बल अधिकरण, क्षेत्रीय पीठ, लखनऊ द्वारा मूल आवेदन संख्या 726 वर्ष 2023 में दिनांक 04.09.2024 को पारित निर्णय और आदेश को चुनौती देते हुए यह याचिका दाखिल की है।

3. यद्यपि परिसीमा अधिनियम, 1963 के प्रावधान रिट कार्यवाही पर लागू नहीं होते हैं, फिर भी एक वादी को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के विवेकाधीन असाधारण क्षेत्राधिकार का प्रयोग बिना किसी विलम्ब के पूरी तत्परता और लगन के साथ करना होता है। प्रस्तुत प्रकरण में यह याचिका सशस्त्र बल अधिकरण द्वारा निर्णय सुनाए जाने के दो वर्ष से भी अधिक समय पश्चात दाखिल की गई है।

4. इस याचिका को दाखिल करने में हुए विलम्ब का स्पष्टीकरण रिट याचिका के प्रस्तर संख्या 4 और 5 में दिया गया है, जो इस प्रकार है:-

"4. जहाँ तक याचिका दाखिल करने में हुए कुछ विलंब का प्रश्न है, यह जानबूझकर नहीं किया गया है, अपितु यह सद्भावी और वास्तविक है, जिसे क्षमा किया जाना उचित है। यह कथन किया जाता है कि सशस्त्र बल अधिकरण द्वारा निर्णय 07.05.2024 को सुनाया गया था। तत्पश्चात याचिकाकर्ता संख्या 1 के स्तर पर प्रकरण की जांच की गई और यह सूचित किया गया कि अशक्तता / मानित अशक्तता के प्रकरणों के अतिरिक्त विकलांगता पेंशन/तत्त्व प्रदान करने से संबंधित सभी प्रकरण भारत के विद्वान महान्यायवादी के समक्ष विचाराधीन थे, कि क्या ऐसे आदेशों को लागू किया जाना चाहिए या उन्हें चुनौती देने की आवश्यकता है। उचित विचार-विमर्श के पश्चात, विद्वान महान्यायवादी ने 18.09.2023 को उन सभी आदेशों को चुनौती देने की राय दी, जहाँ व्यक्तियों को विकलांगता के कारण सेवा की शर्तें पूरी होने पर सेवामुक्त किया गया था, "जो कि न तो सैन्य सेवा के कारण थी और न ही उससे बढ़ी थी" (एनएएनए) ऐसे

अस्वीकरण:

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

अधिवार्षिकी प्रकरणों में सक्षम अधिकार क्षेत्र वाले माननीय उच्च न्यायालयों में रिट याचिकाएँ दाखिल की जाएँ। इसके पश्चात याचिकाकर्ता संख्या 1 ने दिनांक 04.10.2023 के पत्र के माध्यम से सिफारिश की थी कि ऐसे सभी आदेशों को सक्षम अधिकार क्षेत्र वाले माननीय उच्च न्यायालयों में रिट याचिका दाखिल कर चुनौती दी जाए। इसके उपरांत याचिकाकर्ता संख्या 3 द्वारा जारी दिनांक 11.08.2025 के पत्र के माध्यम से सभी संबंधित विधिक प्रकोष्ठों को सक्षम उच्च न्यायालयों के समक्ष रिट याचिकाएँ दाखिल करने का निर्देश जारी किया गया।"

5. इसके पश्चात कागज़ात संबंधित कार्यालयों के माध्यम से भेजे गए और याचिकाकर्तागण ने वर्तमान रिट याचिका तैयार करवाने के लिए माननीय उप सॉलिसिटर जनरल से संपर्क किया। यह निवेदन किया जाता है कि आवश्यक अभिलेख एकत्रित करने, अधिवक्ता को जानकारी देने, और रिट याचिका का प्रारूप तैयार करने तथा उसे अंतिम रूप देने में कुछ समय लगा। आगे यह भी निवेदन किया जाता है कि सशस्त्र बल अधिकरण द्वारा पारित आदेशों से उत्पन्न होने वाले इसी प्रकार के प्रकरणों की बड़ी संख्या के कारण इस रिट याचिका को संसाधित करने और दाखिल करने में अनिवार्य रूप से अतिरिक्त समय लगा। यह कि इस प्रकार हुई विलम्ब न तो जानबूझकर की गई है और न ही सोची-समझी है, अपितु यह सद्भावपूर्ण और प्रक्रियात्मक प्रकृति की है। उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, अत्यंत विनम्रतापूर्वक यह प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय, न्याय के हित में, वर्तमान रिट याचिका दाखिल करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने की कृपा करे।

5. उपर्युक्त के अतिरिक्त विलंब के संबंध में और कुछ नहीं कहा गया है।

अस्वीकरण:

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

6. हमने प्रस्तर संख्या 4 और 5 के प्रत्येक शब्द को ध्यान से पढ़ा है, और हमें दिसम्बर 2023 में दिए गए एक निर्णय को चुनौती देने वाली इस रिट याचिका को दाखिल करने में कोई भी ईमानदारी वास्तविकता या तत्परता नज़र नहीं आती। स्पष्ट है इस रिट याचिका में विलम्ब और अतिविलम्ब की कमी है, ये ऐसे आधार हैं जिनके चलते रिट न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अपने विवेकाधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से मना कर सकता है। ऊपर उद्धृत प्रस्तर में बिना किसी तिथि या विवरण के मात्र अस्पष्ट और सामान्य बातें कही गई हैं। यह याचिकाकर्ता की ओर से हुई इस विलम्ब और अतिविलम्ब को छिपाने का एक दिखावटी प्रयास मात्र है। हमें लगभग दो वर्ष पश्चात इस रिट याचिका पर विचार करने का कोई कारण दृष्टिगत नहीं होता। याचिकाकर्ता की ओर से इतने विलम्ब के पश्चात प्रत्यर्थी को नोटिस जारी करके उसे इस विधिक कार्यवाही का सामना करने हेतु विवश करना अत्यंत अनुचित होगा।

7. वास्तव में, हम पाते हैं कि कई ऐसी रिट याचिकाओं में, जिनमें इस प्रकार का विलंब शामिल है, शब्दशः एक जैसा स्पष्टीकरण दिया जा रहा है, जो अपने आप में यह दर्शाता है कि ऐसी याचिकाएँ यांत्रिक रूप से दाखिल की जा रही हैं और विलंब के लिए दिया गया स्पष्टीकरण भी यांत्रिक है। इसी संदर्भ में हम आज ही सूचीबद्ध अन्य रिट याचिकाओं, संख्या रिट ए संख्या 3261 वर्ष 2026 और रिट ए संख्या 3237 वर्ष 2026 का संदर्भ ले सकते हैं। इस रिट याचिका के प्रस्तर संख्या 4 और 5 की तुलना उक्त अन्य याचिकाओं के प्रस्तर 4 और 5 से करने पर हम पाते हैं कि उनमें दिए गए विवरण लगभग शब्दशः समान हैं। यह याचिकाकर्ता की ओर से अत्यधिक लापरवाह या अनौपचारिक दृष्टिकोण को दर्शाता है।

8. रिट याचिका को उपर्युक्त शर्तों पर **खारिज** किया जाता है।

30 मार्च 2026

लोकेश कुमार

(न्यायमूर्ति राजन राँय) (न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला)

अस्वीकरण:

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”